निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03/2018	09.01.2018	18/12/25

गिर्राज प्रसाद बनाम काडूराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय

प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित भूमि ख0न0 568, 572, 894, 896, 897, 898, 955, 1088, 1190, 1214, 1255 ग्राम जीवली प्रतिवादी संख्या 1 की मॉ श्रमीती मीठी देवी की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड मीठी देवी के नाम सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त की भूमि का हडपना चाहता है। श्रीमती मीठी देवी की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी एक मात्र मीठीदेवी की उत्तराधिकारी है। उक्त भूमि से वादी का कोई सम्बन्ध वास्ता नही है। पूर्व मे उक्त आराजीयात का श्रीमती मीठी देवी अपने जीवन काल मे स्वयं काश्त करती थी तथा उनकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 गिर्राज प्रसाद काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वाद मे वर्णित आराजी बिना खातदारी घोषणा के विभाजन किया जाना प्रावधानों के विपरित है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे कोई उद्घोषणा नही चाही है। जब वादी खातेदार काश्तकार घोषित ही नही है तो उस आराजीयात मे विभाजन किसी भी प्रकार से अपने पक्ष मे करावाने का वादी को कानूनी अधिकारी नही है ना ही स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ प्राप्त करने का उत्तराधिकारी है। इस कारण भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। इसके अलावा उक्त वाद मे वर्णित आराजी बैंक मे रहन रखी हुई है। वादी ने वाद पत्र मे बैंक को पक्षकार तक नही बनाया है जोकि कानून का उल्लंघन है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:39:26 IST
Reason: Self Attested

स्वीकार फरमाया जाकर वादी काडूराम पुत्र गंगाधर का वाद कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर जबाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर सुना गया।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुआ कहा कि गंगाधर की दो पत्नियॉ मीठीदेवी तथा जगनी देवी रही है। गंगाधर की मृत्यु के बाद उसकी विरासत उसकी जिवित पत्नी मीठी देवी एवं दो पुत्रों काडूराम एवं गिर्राज प्रसाद के नाम स्वीकार हुई थी। अब मीठी देवी की मृत्यु हो चुकी है एवं उसकी एकमात्र वारिस प्रतिवादी गिर्राज प्रसाद है। वादी काडूराम की माता का नाम जगनी देवी रहा है। मीठी देवी से उसका कोई वास्ता नही रहा है। वादी काडूराम ने दावा गलत तथ्यो पर एवं विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसके अनुसार वह 1/3 हिस्से का खातेदार है एवं 1/3 हिस्से के विभाजन का अधिकारी है। विधिअनुसार दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का दावा खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज करते हुए 1/2 हिस्से की भूमि वादी के नाम दर्ज करने तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2058—61 खाता संख्या 45 ग्राम जीवली के अनुसार वादग्रस्त भूमि मु0 मीठी, काडूराम व गिर्राज प्रसाद के नाम दर्ज है। इसके अनुसार प्रत्येक का 1/3—1/3 हिस्सा है। जिसके अनुसार वादी भूमि विभाजन का अधिकारी है परन्तु अपने वाद पत्र मे वादी ने 1/2 —1/2 का विभाजन चाहा है जो रिकॉर्ड के विपरित है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथ्यों के विपरित है एवं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2023.02.25 16:39:26
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादी प्रस्तुत वाद विधि से बाधित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज

किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.2.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधा रानी मीना)
उपखण्ड अधिकारी
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

काडूराम पुत्र गंगाधर, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र गंगाधर, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
2. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 03/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश चंद शर्मा एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादी प्रस्तुत वाद विधि से बाधित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/25 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर